240 6. वितरण योग्य 5 प्रतिशत लाभों के बारे में स्पष्टीकरण।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के बोर्ड स्तर के और बोर्ड स्तर के कम स्तर के कार्यपालकों के वेतनमानों में संशोधन करने के संबंध में डी. पी. ई. के का. ज्ञा. सं. 2(49)/98–डी. पी. ई. (डब्ल्यू. सी.) दिनांक 25 जून, 1999 के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को निर्देश दिया है।

उक्त का. ज्ञा. के पैरा 12 के निम्नानुसार पढ़ा जाता है :–

"अनुलब्धियों और भत्तों का भुगतान मूल वेतन के अधिकतम 50 प्रतिशत किया जाए। 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा से अतिरिक्त भुगतान पूर्णतः निष्पादन से जुड़े भुगतानों की प्रकृति के होने चाहिएं जो किसी उद्यम में वितरण योग्य 5 प्रतिशत लाभों से अधिक नहीं होने चाहिएं।"

निष्पादन से जुड़े भुगतानों के संबंध में वितरण योग्य लाभों की सही परिभाषा के बारे में प्रश्न उठाया गया है। इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि वितरण योगय लाभ, कर के बाद लाभ को दर्शाता है तथा विदेशी परियोजना रिजर्व, निवेश भत्ता रिजर्व, सामान्य रिजर्व (कम्पनी अधिनियम की धारा 205 2क के अधीन) आदि जैसे सांविधिक रिजर्व के लिए अंतरण हेतु व्यवस्था को दर्शाता है।

वितरण योग्य लाभ नीचे दिए अनुसार निकाला (प्राप्त किया) जाता है :

		रुपए/ करोड़
क)	कर के बाद लाभ	XXX
	घटाएं : रिजर्व के लिए अंतरण	XXX
ख)	विदेशी परियोजना रिवर्ज यह रिजर्व निर्यात लाभ के 50 प्रतिशत के हिसाब से बनाना होगा। 5 वर्षों तक बहियों में रखना होगा तथा छठे वर्ष में सामान्य रिजर्व में अंतरित करना होगा	
ग)	निवेश भत्ता रिजर्व (1.4.88 से निकाला गया)	XXX
घ)	सामान्य रिजर्व (निवल लाभ के 10 प्रतिशत की राशि को अंतरित करना होगा) कंपनी अधिनियम की धारा 205 (2 क) के अधीन उस वर्ष के लिए प्राप्त किए कंपनी के लाभों में से किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के द्वारा कोई लाभांश घोषित नहीं किया जाएगा, सिवाय कंपनी के रिजर्व के लिए अंतरित करने के बाद, जैसे उस वर्ष के लिए उसके लाभ की प्रतिशतता यथा निर्धारित 10 प्रतिशत से अधिक नहीं।"	
ङ)	कोई अन्य सांविधिक रिजर्व	XXX
च)	वितरण योग्य लाभ [क — (ख + ग + घ + ङ)]	XXX
छ)	लाभांश (लाभाश कर सहित)	XXX

ज) सामान्य रिजर्व के लिए अंतरित शेष लाभ (च – छ) XXX

वर्ष 1999–2000 के लिए किसी पीएसयू (X) के संबंध में वितरण योग्य लाभ की गणना करने का सटीक उदाहरण और उसके प्रयोग से यथा संलग्न स्थिति स्पष्ट होगी।

प्रशासनिक मंत्रालय/ विभागों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के द्वारा अनुपालन करने हेतु इसे उनकी जानकारी में लाएं।

अनुबंध

सटीक उदाहरण

वर्ष 1999–2000 का पीएसयू (X) के लिए वितरण योग्य लाभ

			रु./ करोड़
1.	कर के बाद लाभ	(क)	587
2.	घटाएं : रिजर्व के लिए अंतरण		
	(i) विदेशी परियोजना रिजर्व	(ख)	7
	(ii) सांविधिक सामान्य रिवर्ज (धारा 205 2क के अधीन) लाभांश के लिए (लाभांश कर सहित)	(ग)	59
	लाभ की वितरण योग्य राशि	(क–ख–ग)	521
3.	प्रस्तावित (अंतरिम लाभांश 15 प्रतिशत की दर से + अंतरिम लाभांश 15 प्रतिशत की दर से + लाभांश पर कर) पर उपलब्ध लाभांश (लाभांश कर सहित)	(घ)	85
4.	सामान्य रिजर्व के लिए अंतरित शेष लाभ	(क–ख–घ)	495

इस मामले में, वितरण योग्य 5 प्रतिशत लाभ 521 करोड़ रु. में जुड़ा होगा और न कि 85 करोड़ रु. में से भुगतान किया गया लाभांश। सामान्य रिजर्व के लिए अंतरण में सांविधिक संघटक (59 करोड़ रु.) और स्वैच्छिक संघटक (436 करोड़ रु.) रिजर्व शामिल होते हैं।

(डीपीई का. ज्ञा. सं. 2(49)/98–डीपीई (डब्ल्यू. सी.) – जीएल – **XXIX**, दिनांक 12 सितंबर, 2000)

*****